

## मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :— राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बीसवीं बैठक, दिनांक 21.12.2012 का कार्यवाही विवरण।

---

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बीसवीं बैठक दिनांक 21.12.2012 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट-द अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये:—

1. एजेण्डा क्रमांक-1 समिति की 18 वीं बैठक दिनांक 26.09.2012 एवं 19 वीं बैठक दिनांक 06.10.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2. एजेण्डा क्रमांक-2 सदस्य सचिव द्वारा समिति की 18 वीं बैठक दिनांक 26.09.2012 एवं 19 वीं बैठक दिनांक 06.10.2012 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति निम्न जानकारी से अवगत हुई—
  - (अ) मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 के अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई के पक्ष में पंजीयन जारी किये जाने की जानकारी दी गई।
  - (ब) उक्त दोनों बैठकों में स्वीकृत क्लोम प्रकरणों में राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई।

समिति द्वारा एजेण्डा क्रमांक 3 से 16 तक इकाईयों के कलेम प्रकरण पर चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	कलेम वर्ष	पात्र स्थायी पूँजी निवेश (लाख में)	वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन अनुसार इकाई द्वारा चुकाये गये कर की राशि (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर)	वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन एवं एजेण्डा मे अनुशासित राशि (50/75 प्रतिशत)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
3	पूर्व नाम मेसर्स ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नवीन नाम मेसर्स जीसी वेंचर्स लिमिटेड, जिला उज्जैन	20.03.2005	2005–06	3523.74	1,39,24,747.00	1,04,43,560.00	वाणिज्यिक कर विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त न होने से प्रकरण स्थगित
4	मेसर्स अग्रवाल इण्डोटेक्स लिमिटेड, अग्रवाल नगर, छैगाँव माखन, खण्डवा	01.09.2007	2008–09	1957.70	6,80,000.00	5,10,000.00	5,10,000.00
5	मेसर्स पेन्टागॉन लेब्स लिमिटेड, ए.बी. रोड, देवास	15.05.2006	2008–09	556.76	13,70,181.00	6,85,090.00	6,85,090.00
6	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड), तहसील बुधनी जिला सीहोर	01.02.2008	2007–08	60610.00	6,83,416.00	कुल जमा राशि मे आईटीआर रु. 33,98,902.00 कम करने पर निरंक	निरंक
7	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट यूनिट नं. -II, (मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. की एक इकाई), जिला सतना	01.01.2011	2010–11	80889.65	9,16,46,180.00	6,87,34,635.00	6,87,34,635.00
8	मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., इण्डस्ट्रीज एरिया रत्लाम	19.03.2007	2007–08	3569.42	1,42,30,910.00	1) 71,15,455.00 (50 प्रतिशत पूर्व में स्वीकृत) 2) 1,06,73,182.00 (75 प्रतिशत)	35,57,727.00 (शेष 25 प्रतिशत राशि)
9	मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., इण्डस्ट्रीज एरिया रत्लाम	19.03.2007	2008–09	3569.24	5,06,50,340.00	3,79,87,755.00	3,79,87,755.00
10	मेसर्स खन्ना पॉलीवेव प्रा. लि., उद्योग विहार, रीवा	18.08.2011	2011–12	1063.92	65,96,752.00	49,47,564.00	49,47,564.00
11	मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इण्डिया लि. यूनिट-2, पोस्ट-वैडन, जिला- सिंगरौली	27.03.2009	2009–10	462.29	5,27,739.00	2,63,870.00	2,63,870.00

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	क्लेम वर्ष	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन अनुसार इकाई द्वारा चुकाये गये कर की राशि (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर)	वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन एवं एजेण्डा मे अनुशंसित राशि (50 / 75 प्रतिशत)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
12	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड), तहसील बुधनी जिला सीहोर	01.02.2008	2008–09	60610.00	32,44,794.00	24,33,595.00	24,33,595.00
13	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड), तहसील बुधनी जिला सीहोर	01.02.2008	2009–10	73793.00	3375995.00	25,31,996.00	25,31,996.00
14	मेसर्स अर्पित प्लास्टिक प्रा. लि., 14 सी, मक्सी रोड उज्जैन	09.03.2009	2009–10	233.76	18,55,544.00	9,27,772.00	9,27,772.00
15	मेसर्स तिरुपति कोरोगेटर्स, मक्सी रोड, जिला उज्जैन	28.10.2010	2010–11	1083.28	17,00,000.00	12,75,000.00	12,75,000.00
16	मेसर्स विनायक पोलीटेक्स प्रा.लि., मनेरी, जिला मंडला	06.05.2008	2010–11	1161.47	1,45,37,291.00	1,09,02,968.00	1,09,02,968.00
कुल योग						134757972.00	

उपरोक्तानुसार प्रकरणों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- एजेण्डा क्रमांक 3 – पूर्व नाम मेसर्स ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नवीन नाम मेसर्स जीसी वेंचर्स लिमिटेड, जिला उज्जैन का वर्ष 2005–06 हेतु क्लेम प्रकरण –

वाणिज्यिक कर विभाग से प्रतिवेदन अपेक्षित होने से प्रकरण स्थगित।

- एजेण्डा क्रमांक 4 – मेसर्स अग्रवाल इण्डोटेक्स लिमिटेड, अग्रवाल नगर, छैगाँव माखन, खण्डवा का वर्ष 2008–09 हेतु क्लेम प्रकरण –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम प्रकरण है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कंपनी की एक से अधिक इकाई को एक ही टिन नम्बर होने पर यदि इकाई स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापित होती है, तो उसे नवीन इकाई माना जावेगा, क्योंकि योजना में कंपनी की पृथक–पृथक इकाईयों को पृथक–पृथक टिन नम्बर लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं

है। समिति द्वारा उक्त तथ्य के दृष्टिगत विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूँजी निवेश रु. 1975.70 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता का 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.09.2007 से 31.08.2017 तक 10 वर्ष मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रु. 6,80,000.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 5,10,,000.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**3. एजेण्डा क्रमांक 5 – मेसर्स पेन्टागॉन लेब्स लिमिटेड, भूखण्ड क्र. 16सी, 16डी, औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1, ए.बी. रोड, देवास का वर्ष 2008–09 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2008–09 के कर निर्धारण एवं कर पुष्टि आदेश के अनुसार रु. 30,06,091.00 कर की राशि जमा करना एजेण्डा में बताया गया है, परन्तु उपायुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में परिक्षणोंपरांत राशि रु. 13,70,181.00 कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा करना प्रतिवेदित किया गया है। अतः उक्त राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 6,85,090.00 सुविधा की पात्रता होगी।

प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूँजी निवेश रु. रु. 556.76 लाख तथा पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 15.05.2006 से 14.05.2011 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के उपरोक्त प्रतिवेदन के दृष्टिगत रखते हुये विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रु. 13,70,181.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 6,85,090.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

**4. एजेण्डा क्रमांक 6— मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड), ग्राम पीलीकरार, तालपुरा रेहटी रोड, तहसील बुधनी जिला सीहोर का वर्ष 2007–08 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम प्रकरण है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूँजी निवेश रु. 60610.00 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.02.2008 से 31.01.2015 तक 07 वर्ष मान्य किया गया।

समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2007–08 में कुल चुकाये गये कर रु. 6,83,416.00 होना बताया गया है, परन्तु उक्त जमा राशि से आई.टी.आर. की राशि रु. 33,98,902.00 कम नहीं किया गया है। आई.टी.आर. की राशि कम करने पर सहायता राशि निरंक होगी। समिति द्वारा उक्त तथ्य मान्य किया गया।

5. एजेण्डा क्रमांक 7— मेसर्स प्रिज्म सीमेंट यूनिट नं. -II, (मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. की एक इकाई), ग्राम मनकहरी, बम्हौरी, तहसील रामपुर बाघेलन, जिला सतना का वर्ष 2010–11 हेतु क्लेम प्रकरण—

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम प्रकरण है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूँजी निवेश रु. 80,889.65 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 75 प्रतिशत एवं शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के आदेश क्रमांक एफ-16/30/06/बी/ग्यारह दिनांक 08.02.2008 के अनुसार सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2017 तक 07 वर्ष मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल चुकाये गये कर रु. 9,16,46,180.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 6,87,34,635.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

6. एजेण्डा क्रमांक 8 — मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., 34–44 इण्डस्ट्रीज एरिया रत्लाम का वर्ष 2007–08 हेतु क्लेम प्रकरण—

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में इकाईयों की सुविधा बढ़े हुये पूँजी निवेश के आधार पर 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :—

‘ऐसी इकाईयाँ जिनका उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूँजी निवेश पिछड़ा ‘स’/पिछड़ा ‘ब’/पिछड़ा ‘अ’/अग्रणी जिले में क्रमशः रु. 10.00/15.00/20.00/25.00 करोड़ से कम रहता है, को वर्तमान में 50 प्रतिशत सुविधा प्राप्त होती है जो कि आगे भी निरंतर रहती है। उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् (3 वर्षों में) ऐसी इकाईयाँ जिनका मान्य योग्य स्थायी पूँजी निवेश पिछड़े ‘स’/‘ब’/‘अ’/अग्रणी जिले में क्रमशः रु. 10.00/15.00/20.00/25.00 करोड़ अथवा उससे अधिक हो जाता है, के सन्दर्भ में सुविधा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने हेतु विचार करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि योजनान्तर्गत उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों के अन्दर किये गये पूँजी निवेश को सुविधा की सीमा बढ़ाये जाने हेतु जोड़े जाने का प्रावधान नियमों में पूर्व से ही है। शीर्ष स्तरीय समिति के द्वारा भी मेगा प्रॉजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज प्रस्तावित स्थिति में प्रदान किया जाता है जिसमें इकाईयों द्वारा प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश को पूर्ण करने के लिए उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों का समय प्रदान किया जाता है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनके द्वारा प्रथमतः अग्रणी /पिछड़ा 'अ' /पिछड़ा 'ब' /पिछड़ा 'स' जिले में क्रमशः रु. 25.00 /20.00 /15.00 /10.00 करोड़ से कम स्थायी पूंजी निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ किया जाता है उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् वे अपने पूंजी निवेश में प्रस्तावित एवं पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप वृद्धि करती हैं तो उन्हें बढ़े हुए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निवेश संवर्धन सहायता 50 से 75 प्रतिशत किया जाना उपयुक्त है। उपरोक्तानुसार सुविधा में संशोधन के लिए वर्तमान में प्रचलित योजना में निहित प्रावधान समुचित एवं पर्याप्त हैं तथा इनमें किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाईयों को बढ़ी हुई सुविधा उस दिनांक से प्रदान की जाएगी जिस दिनांक को इकाई द्वारा जिले की श्रेणी अनुसार (अग्रणी जिले के लिए रु. 25.00 करोड़ /पिछड़ा 'अ' जिले के लिए रु. 20.00 करोड़ / पिछड़ा 'ब' जिले के लिए रु. 15.00 करोड़ / पिछड़ा 'स' जिले के लिए रु. 10.00 करोड़) न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा से अधिक पूंजी निवेश मान्य किये जाने पर समिति द्वारा सुविधा में वृद्धि किये जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा।"

समिति द्वारा लिये गये नितिगत निर्णय के प्रकाश में, मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्रा, रतलाम के स्थाई पूंजी निवेश के वृद्धि होने के आधार पर वर्ष 2007–08 के क्लेम प्रकरण की सुविधा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने पर विचार किया गया है।

समिति को अवगत कराया गया कि बैठक दिनांक 16.11.2011 में इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु उत्पादन दिनांक तक किये गये मान्य योग्य पूंजी निवेश (रु.1768.82 लाख) के आधार पर इकाई औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले की "अ" श्रेणी में स्थापित होने से पात्रता अवधि दिनांक 19.03.2007 से 18.03.2012 तक 5 वर्ष एवं उत्पादन दिनांक तक रु. 20 करोड़ से न्यूनतम पात्र स्थाई पूंजी निवेश होने से सहायता राशि 50 प्रतिशत मान्य करते हुए वर्ष 2007–08 में कच्चे माल के क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई कर राशि रु. 1,42,30,910.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 71,15,455.00 स्वीकृत की जाकर वितरित की जा चुकी है।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि इकाई की मूल परियोजना में प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश रु. 3929.00 लाख था। इकाई द्वारा रु. 1768.82 लाख के निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करते हुए परियोजना को पूर्ण करने के लिये उत्पादन दिनांक के पश्चात् 3 वर्ष तक रु. 1800.42 लाख का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है, जिसकी पुष्टि सीए प्रमाण पत्र एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रतलाम द्वारा किये

जाने से समिति की बैठक दिनांक 26.11.2011 में ही योजना के प्रावधान अंतर्गत कुल पूंजी निवेश रु. 3569.24 लाख मान्य की गई है।

इकाई की मूल परियोजना के अनुसार प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश रु. 3929.00 लाख था। इकाई द्वारा रु. 1768.82 लाख के निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करते हुए परियोजना को पूर्ण करने के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है, जिसकी पुष्टि सीए प्रमाण पत्र एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रतलाम द्वारा पत्र क्र. 3478 दि. 26.11.2012 से की गई अनुशंसा से होती है। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक एवं उसके पश्चात् तीन वर्षों में किये गये पूंजी निवेश की स्थिति इस प्रकार है :—

उत्पादन दिनांक 19.03.2007 की स्थिति में स्थायी पूंजी निवेश	उत्पादन दिनांक से 16.05.2007 तक किया गया अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश	दिनांक 16.05.2007 की स्थिति में स्थायी पूंजी निवेश (1+2)	उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश (दि. 18.03.2010 की स्थिति में)	उत्पादन दिनांक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों में किया गया कुल स्थायी पूंजी निवेश (1+4)
1	2	3	4	5
1768.82 लाख	231.29 लाख	2000.11 लाख	1800.42 लाख	3569.24 लाख

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत समिति द्वारा यह पाया गया कि चूँकि इकाई का स्थायी पूंजी निवेश वर्ष 2007–08 में ही बढ़कर रु. 2000.11 लाख हो गया था जो कि दिनांक 18.03.2010 की स्थिति में और बढ़कर रु. 3569.24 लाख हो चुका है। अतः इकाई को वर्ष 2007–08 से ही, ‘अ’ श्रेणी में होने के आधार पर एवं स्थायी पूंजी निवेश रु. 20.00 करोड़ से अधिक होने के कारण, बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत होगी।

इकाई को वर्ष 2007–08 में 50 प्रतिशत आधार पर प्राप्त हो चुकी सहायता एवं 75 प्रतिशत आधार पर शेष सहायता की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष 2007–08 में चुकाया गया कर (क्रय कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर)	50 प्रतिशत आधार पर निवेश संवर्धन सहायता (प्राप्त हो चुकी सहायता)	75 प्रतिशत आधार पर निवेश संवर्धन सहायता	शेष 25 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता राशि (3–2)
1	2	3	4
1,42,30,910.00	71,15,455.00	1,06,73,182.00	35,57,727.00

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये नीतिगत निर्णय एवं उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, समिति द्वारा विचारोपरांत, वर्ष 2007–08 हेतु इकाई के पक्ष में निवेश संवर्धन सहायता राशि 50 प्रतिशत (रु. 71,15,455.00) के स्थान पर 75 प्रतिशत (रु. 1,06,73,182.00) स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूँकि इकाई को 50 प्रतिशत

आधार पर सहायता राशि रु. 71,15,455.00 प्रदान की जा चुकी है अतः शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि अर्थात् रु. 35,57,727.00 और प्राप्त हो सकेगी।

7. **एजेण्डा क्रमांक 9— मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., 34–44 इण्डस्ट्रीज एरिया रतलाम का वर्ष 2008–09 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। उपरोक्त एजेण्डा क्रमांक–8 के अनुसार प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 3,569.24 लाख तथा 75 प्रतिशत पात्रता एवं सुविधा अवधि 19.03.2007 से 18.03.2012 तक 05 वर्ष मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रु. 5,06,50,340.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 3,79,87,755.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

8. **एजेण्डा क्रमांक 10— मेसर्स खन्ना पॉलीवेव प्रा.लि., प्लॉट नं. 54ए से 63 ए चौरहटा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीवा का वर्ष 2011–12 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम प्रकरण है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 1063.92 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 75 प्रतिशत एवं अवधि दिनांक 18.08.2011 से 17.08.2021 तक 10 वर्ष मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल चुकाये गये कर रु.65,96,752.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 49,47,564.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

9. **एजेण्डा क्रमांक 11— मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इण्डिया लि. यूनिट–2, खसरा नं.–975/2, ग्राम–गिनयारी, पोस्ट–वैढ़न, जिला–सिंगरौली का वर्ष 2009–10 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष का प्रथम क्लेम प्रकरण है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 462.29 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 50 प्रतिशत एवं अवधि दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 तक 05 वर्ष मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रु. 5,27,739.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 2,63,870.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

- 10. एजेण्डा क्रमांक 12— मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड), ग्राम पीलीकरार, तालपुरा रेहटी रोड, तहसील बुधनी जिला सीहोर का वर्ष 2008–09 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2008–09 के कर निर्धारण एवं कर पुष्टि आदेश के अनुसार रु. 44,09,799.00 कर की राशि जमा करना एजेण्डा में बताया गया है, परन्तु उपायुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में परिक्षणोंपरांत राशि रु. 32,44,794.00 कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा करना प्रतिवेदित किया गया है। अतः उक्त राशि का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 24,33,595.00 सुविधा की पात्रता होगी।

प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 60610.00 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 01.02.2008 से 31.01.2015 तक 07 वर्ष उपरोक्त एजेण्डा क्रमांक–6 में मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के उपरोक्त प्रतिवेदन के दृष्टिगत रखते हुये विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रु. 32,44,794.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 24,33,595.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

- 11. एजेण्डा क्रमांक 13— मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड), ग्राम पीलीकरार, तालपुरा रेहटी रोड, तहसील बुधनी जिला सीहोर का वर्ष 2009–10 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2009–10 के कर निर्धारण एवं कर पुष्टि आदेश के अनुसार रु. 44,74,368.00 कर की राशि जमा करना एजेण्डा में बताया गया है, परन्तु उपायुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में परिक्षणोंपरांत राशि रु. 33,75,995.00 कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा करना प्रतिवेदित किया गया है। अतः उक्त राशि का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 25,31,996.00 सुविधा की पात्रता होगी।

प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 60610.00 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 01.02.2008 से 31.01.2015 तक 07 वर्ष उपरोक्त एजेण्डा क्रमांक–6 में मान्य की जा चुकी है। तत्पश्चात् इकाई का उत्पादन दिनांक के पश्चात् दिनांक 31.03.2010 तक मान्य स्थाई पूंजी निवेश रु. 73793.00 लाख हो चुकी है, जिसे मान्य करते हुये समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के उपरोक्त

प्रतिवेदन के दृष्टिगत रखते हुये विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रु. 33,75,995.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 25,31,996.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

12. **एजेण्डा क्रमांक 14— मेसर्स अर्पित प्लास्टिक प्रा. लि., 14 सी, 14 ई एवं 15 पर औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड उज्जैन का वर्ष 2009–10 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह विस्तार अंतर्गत प्रथम क्लेम प्रकरण है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 233.76 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 50 प्रतिशत एवं अवधि दिनांक 09.03.2009 से 08.03.2014 तक 05 वर्ष मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रु. 18,55,544.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 9,27,772.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

13. **एजेण्डा क्रमांक 15— मेसर्स तिरुपति कोरोगेटर्स, 8, औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, जिला उज्जैन का वर्ष 2010–11 हेतु क्लेम प्रकरण—**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम प्रकरण है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 1,083.28 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 75 प्रतिशत एवं अवधि दिनांक 28.10.2010 से 27.10.2020 तक 10 वर्ष मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल चुकाये गये कर रु. 17,00,000.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 12,75,000.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

14. **एजेण्डा क्रमांक 16— मेसर्स विनायक पोलीटेक्स प्रा.लि., प्लाट नं. ई–5/6, आईजीसी, मनेरी, जिला मंडला 2010–11 हेतु क्लेम प्रकरण —**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 1161.47 लाख तथा 75 पात्रता प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 06.05.2008 से 05.06.2018 तक 10 वर्ष मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल चुकाये गये कर रु. 1,45,37,291.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,09,02,968.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

15. अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिये गये कि समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012, 06.10.2012 में स्वीकृत किये गये तथा इस बैठक में स्वीकृत किये जा रहे प्रकरणों में (संलग्न परिशिष्ट—अ, ब एवं स अनुसार) सहायता राशि के वितरण के लिये आवश्यक बजट आवंटन हेतु उचित स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जावे।

सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरुण कुमार भट्ट)

प्रबंध संचालक

म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन  
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं  
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश  
संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं  
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन  
सहायता समिति

**परिशिष्ट—अ**

**मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012  
में स्वीकृत तथा बजट आबंटन के अभाव में अवितरित राशि की सूची**

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	कलेम वर्ष	मान्य स्थायी पूँजी निवेश (रु.लाख में)	इकाई द्वारा कलेम वर्ष में जमा कर राशि	पात्रता का प्रतिशत	समिति द्वारा स्वीकृत राशि	रिमार्क
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
1	मेसर्स रूचि स्ट्रिप्स एण्ड एलॉयस लिमिटेड नवीन नाम आरएसएएल, ग्राम सेजवाया, जिला धार	क्रूड ऑयल, डीओसी	2009-10	3000.56	16976610.00	75	12732458.00	इकाई का नाम परिवर्तन करने की स्वीकृति आदेश के पश्चात् संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किया गया
2	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेन्ट, करियाझर पोर्ट भरतपुर, तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी	सीमेंट, विलंकर	2009-10	76300.00	90192707.00	75	67644530.00	
3	मेसर्स जे.पी. रीवा प्लॉट, जेपी नगर, रीवा	सीमेंट	2006-07	13459.72	5410774.00	75	4058080.00	
4	मेसर्स कपारो इंजीनियरिंग इण्डिया प्रा.लि. – यूनिट-2, प्लॉट क्र. 105-ए, 106, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर	शीट मेटल कम्पोनेन्ट्स एण्ड अदर सेक्टर	2007-08	1902.51	2696338.00	75	2022254.00	
5	मेसर्स कपारो इंजीनियरिंग इण्डिया प्रा.लि.–यूनिट-2, प्लॉट क्र. 105-ए, 106, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर	शीट मेटल कम्पोनेन्ट्स एण्ड अदर सेक्टर	2008-09	1902.51	5360329.00	75	4020247.00	
6	मेसर्स कपारो इंजीनियरिंग इण्डिया प्रा.लि. – यूनिट-2, प्लॉट क्र. 105-ए, 106, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर	शीट मेटल कम्पोनेन्ट्स एण्ड अदर सेक्टर	2009-10	1902.51	6477400.00	75	4858050.00	
7	मेसर्स सूर्या रोशनी लि.,पी-1 से पी-20, घिरोंगी औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर	ERW Pipe, High Mast & Poles	2010-11	4994.66	9118012.00	75	6838509.00	
8	मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लि., 98-ए, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल	मिल्क प्रोसेसिंग (धी,लस्सी,श्रीखण्ड पनीर) मठा, चक्का, मीठा दही, पलेवर्ड मिल्क	2008-09	325.40	558763.00	50	279381.00	

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	कलेम वर्ष	मान्य स्थायी पूँजी निवेश (रु.लाख में)	इकाई द्वारा कलेम वर्ष में जमा कर राशि	पात्रता का प्रतिशत	समिति द्वारा स्वीकृत राशि	रिमार्क
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
9	मेसर्स श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि., प्लॉट क्र. 192, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार	पीपी वोवेन सेक / बेर्गस / फिलिक / बेल्ट / टेप एण्ड तारपोलीन	2007-08	361.79	161152.00	50	80576.00	
10	मेसर्स श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि., प्लॉट क्र. 192, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार	पीपी वोवेन सेक / बेर्गस / फिलिक / बेल्ट / टेप एण्ड तारपोलीन	2008-09	361.79	449269.00	50	224635.00	
11	मेसर्स डिलाइट डेयरी लि., ग्राम खटाम्बा, जिला देवास	स्टिकम्ड मिल्क पाउडर, धी, बटर	2009-10	474.21	9930565.00	50	4965283.00	
12	मेसर्स कमिंस टेक्नोलॉजीज इण्डिया लि., प्लॉट क्र. 1-बी-2, औद्योगिक क्षेत्र क्र. 2, ए.बी. रोड, देवास	टरबो चार्जर्स	2008-09	2237.96	10274271.00	75	7705703.00	
13	मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लि., 191, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-1 पीथमपुर जिला धार	All type of seats & Part, Motor Vehicle Parts, Automobile body Exl. Cab.	2006-07	454.04	6478138.00	50	3239069.00	
14	मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लि., 191, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-1 पीथमपुर जिला धार	All type of seats & Part, Motor Vehicle Parts, Automobile body Exl. Cab.	2007-08	454.04	5983099.00	50	2991550.00	
15	मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लि., 191, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-1 पीथमपुर जिला धार	All type of seats & Part, Motor Vehicle Parts, Automobile body Exl. Cab.	2008-09	454.04	1613029.00	50	806514.00	
16	मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लि., 71, औ. क्षे., सेक्टर-1, पीथमपुर	HDPE, PP Bags, Strips, Trapaullines, (Waste) Fabrics	2009-10	597.50	5708349.00	50	2854175.00	
<b>कुल योग</b>					<b>177388805.00</b>		<b>125321014.00</b>	

मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012  
में स्वीकृत तथा बजट आबंटन के अभाव में अवितरित राशि की सूची

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	कलेम वर्ष	मान्य स्थायी पूँजी निवेश (रु.लाख में)	इकाई द्वारा कलेम वर्ष में जमा कर राशि	पात्रता का प्रतिशत	समिति द्वारा स्वीकृत राशि	रिमार्क
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
1	मेसर्स जी.ई.आई. पॉवर लि., ऐ-10, फेस-2, मण्डीदीप जिला रायसेन	Structures for power equipment, piping, sub assemblies, Transmission Towers, Sub Station Structure, Production of boilers for thermal power plant misc. power equipment.	2009-10	6441.46	19290903.00	75	4822725.00	इकाई का कुल स्थायी पूँजी निवेश रु. 6441.46 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2009-10 हेतु इकाई के पक्ष में निवेश संवर्धन सहायता राशि 50 प्रतिशत (रु. 96,45,451.00) के स्थान पर 75 प्रतिशत (रु. 1,44,68,176.00) स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि इकाई को 50 प्रतिशत आधार पर सहायता राशि रु. 96,45,451.00 प्रदान की जा चुकी है अतः इकाई को शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि अर्थात् रु. 48,22,725.00 और प्राप्त हो सकेगी।
2	मेसर्स एस.डी. बंसल आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लिमिटेड, एच-1, न्यू औद्योगिक क्षेत्र-1, मण्डीदीप	टीएमटी बार	2009-10	1240.29	16275449.00	75	12206586.00	
3	मेसर्स विनायक पॉलीटेक्स प्रा.लि. ,प्लाट नं. ई-5/6, आईजीसी, मनेरी मंडला	HDPE/PP WOVEN BAG, HDPE/PP WOVEN Fabrics, HDPE/PP WASTE Scrap	2009-10	1155.80	12555957.00	75	9416967.00	
4	मेसर्स सफल फूड प्रॉडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्रोथ सेन्टर (फूड पार्क), बोरगांव तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा	Packed Pickles all Types, Packed Chilly Powder, Packed Turmeric & Coarinder Powder, Packed Curry Powder, Packed Other Similar Food	2009-10	1074.33	4015393.00	75	3011545.00	
6	मेसर्स क्वालिटी वोयेन सेक्स प्रा.लि, प्लाट नं. 9, 10 एवं 11 चौरहटा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, उद्योग विहार, रीवा	पी.पी. बेग	2009-10	1807.62	13493491.00	75	10120118.00	
7	मेसर्स प्रॉक्टर एण्ड गैम्बल होम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन	सेनिटरी टावल्स बेबी ड्राइपर	2009-10	2693.64	39996104.00	75	29997078.00	

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	कलेम वर्ष	मान्य स्थायी पूँजी निवेश (रु.लाख में)	इकाई द्वारा कलेम वर्ष में जमा कर राशि	पात्रता का प्रतिशत	समिति द्वारा स्वीकृत राशि	रिमार्क
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
8	मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर, जिला धार	एचडी/पीपी वोवेनसेक्स / फब्रिक्स, मॉडिफाइड प्लास्टिसार्इज्ड, पल्वराइज्ड पॉलीमस	2010-11	1589.62	12686763.00	75	9515072.00	
9	मेसर्स किसान इरिगेशन लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार	HDPE/LLDPE/PVC/PPR/ Pipes & Fittings, Braided Hose/Garden Tubing Pipes	2009-10	742.58	12025939.00	50	6012969.00	
10	मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलॉयज प्रा.लि., पीथमपुर, जिला धार	एम.एस. इन्डस	2009-10	322.00	10286539.00	50	5143269.00	
11	मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट, रीवा	सीमेन्ट	2007-08	13459.27	98850687.00	75	74138015.00	
12	मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट, रीवा	सीमेन्ट	2008-09	13459.27	90450575.00	75	67837931.00	
13	मेसर्स जे.पी. बेला (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लि.), रीवा	सीमेन्ट	2007-08	9552.66	36612012.00	75	27459010.00	
14	मेसर्स जे.पी. बेला प्लांट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लि.), रीवा	सीमेन्ट	2008-09	9552.66	34810157.00	75	26107617.00	
15	मेसर्स देवास मेटल सेक्शन्स लिमिटेड, देवास	Cold Rolled formad metal section & component thereof	2007-08	518.29	2683168.00	50	1341584.00	
16	मेसर्स चिरचिंद हाइड्रो पॉवर लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला—रायसेन	Heavy Steel Fabrication, Parts of Hydro Power Plant, Machinery, Transformer Vessels, Electric & Diesel Locomoters	2011-12	1082.10	8275814.00	75	6206860.00	
17	मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा. लि., जिला धार	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट	2009-10	1223.63	5217841.00	75	3913841.00	
18	मेसर्स रमणीक पावर एंड अलॉयज प्रा.लि., जिला—बालाघाट	सिलीको मेंगनीज एवं फेरो मेंगनीज	2010-11	2944.11	4055079.00	75	3041309.00	
कुल योग					421581871.00		300292496.00	

मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत समिति की बैठक दिनांक 21.12.2012  
में स्वीकृत किये जा रहे प्रकरणों की सूची

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	कलेम वर्ष	मान्य स्थायी पूँजी निवेश (रु.लाख में)	इकाई द्वारा कलेम वर्ष में जमा कर राशि	पात्रता का प्रतिशत	समिति द्वारा स्वीकृत राशि	रिमार्क
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
1	मेसर्स अग्रवाल इण्डोटेक्स लिमिटेड, अग्रवाल नगर, छैगँव माखन, खण्डवा	कॉटन एण्ड ब्लैडेर यार्न	2008-09	1957.70	680000.00	75	510000.00	
2	मेसर्स पेन्टागॉन लेब्स लिमिटेड, भूखण्ड क्र. 16सी, 16डी, औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1, ए.बी. रोड, देवास	आई.वी. फ्लूड	2008-09	556.76	1370181.00	50	685090.00	
3	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट यूनिट नं. -2, (मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. की एक इकाई), ग्राम मनकहरी, बम्हौरी, तहसील रामपुर बाघेलन, जिला सतना	ऑल वेरायटीज ऑफ पोर्टलैण्ड सीमेंट, सीमेंट विलंकर	2010-11	80889.65	91646180.00	75	68734635.00	
4	मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., 34-44 इण्डस्ट्रीज एरिया रत्लाम	स्टील वायर एंड वायर ऑफ एलाय एंड नान इलाय स्टील, एल्यूमिनियम कंबलस राऊन्ड एंड फलेट, कापर कंबलस राऊन्ड एण्ड फलेट, एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स, वायर राड, आल एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स, आल, एल्यूमिनियम अलाम कन्डक्टर्स, एसीएसआर कन्डक्टर्स, प्लास्टीक (पोलिथीन) एण्ड प्लास्टीक (पोलिथीन) ले फलेट प्रोडक्ट्स	2007-08	3569.24	14230910.00	75	3557727.00 (शेष राशि)	7115455.00 (पूर्व में स्वीकृति पश्चात् भुगतान किया चुका है।)
5	मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., 34-44 इण्डस्ट्रीज एरिया रत्लाम	—तदैव—	2008-09	3569.24	50650340.00	75	37987755.00	
6	मेसर्स खन्ना पॉलीवेच प्रा.लि., प्लॉट नं. 54ए से 63 ए चौरहटा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीवा	PP Bags, PP Fabric & PP Wastage	2011-12	1063.92	6596752.00	75	4947564.00	

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	क्लेम वर्ष	मान्य स्थायी पूँजी निवेश (रु.लाख में)	इकाई द्वारा क्लेम वर्ष में जमा कर राशि	पात्रता का प्रतिशत	समिति द्वारा स्वीकृत राशि	रिमार्क
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
7	मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इण्डया लि. यूनिट-2, खसरा नं.-975/2, ग्राम-गिनयारी, पोस्ट-वैडन, जिला-सिंगरारौली	सी. एन. मेल्ट, ए.न. मेल्ट (आर्कीडार्इजर), इमल्पन मैट्रिक्स, बल्क इमल्सन मैट्रिक्स	2009-10	462.29	527739.00	50	263870.00	
8	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटार्इल्स लिमिटेड), ग्राम पीलीकरार, तालपुरा रेहठी रोड, तहसील बुधनी जिला सीहोर	Yarn, Fabric, Procesed Febrics, Dyed Yarn, CPP	2008-09	60610.00	3244794.00	75	2433595.00	
9	मेसर्स वर्धमान फेब्रिक्स (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटार्इल्स लिमिटेड), ग्राम पीलीकरार, तालपुरा रेहठी रोड, तहसील बुधनी जिला सीहोर	Yarn, Fabric, Procesed Febrics, Dyed Yarn, CPP	2009-10	73793.00	3375995.00	75	2531996.00	
10	मेसर्स अप्रित प्लास्टिक प्रा. लि., 14 सी, 14 ई एवं 15 पर औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड उज्जैन	कारोगेटेड बॉक्सेज, प्लास्टिक आर्टिकल्स	2009-10	233.76	1855544.00	50	927772.00	
11	मेसर्स तिरुपति कोरोगेटर्स, 8, औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, जिला उज्जैन	कोरेगेटेड शीट / बॉक्सेज	2010-11	1083.28	1700000.00	75	1275000.00	
12	मेसर्स विनायक पोलीटेक्स प्रा.लि., प्लाट नं. ई-5/6, आईजीसी, मनेरी, जिला मंडला	HDPE/PP WOVEN BAG., HDPE/PP WOVEN Fabrics, HDPE/PP WASTE Scrap	2010-11	1 161.47	14537291.00	75	10902968.00	
<b>कुल योग</b>				<b>190415726.00</b>			<b>134757972.00</b>	

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बीसवीं बैठक  
 दिनांक 21.12.2012 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

---

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री राजेश चतुर्वेदी	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य
3	श्री अरुण कुमार भट्ट	प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक / एमपी.एस.आई.डी.सी एवं सदस्य सचिव
4	श्री बी. बी. भारद्वाज	उप सचिव, वित्त (प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि) एवं सदस्य
5	श्री ए.के. मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्डौर एवं सदस्य
<b>अन्य उपस्थित अधिकारी</b>		
1	श्री सी.एस. धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक